कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर।

क्रमांक :– का.आ. / 2020 / 16

दिनांक :– 01 अप्रेल, 2020

कार्यालय–आदेश

मैं **केदार नाथ, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर** दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15(2) एवं 410(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश पारित करता हूं कि आगामी आदेश तक जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के **जयपुर मुख्यालय पर अवस्थित न्यायालयों के अतिरिक्त** शेष मुख्यालय चौमू, जमवारामगढ, कोटपूतली, शाहपुरा, विराटनगर, सांभरलेक, दूदू, फागी एवं किशनगढ रेनवाल मुख्यालयों पर पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण आगामी प्रत्येक राजकीय / सार्वजनिक अवकाश के दिन अपने–अपने न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य, कोरोना वायरस के दृष्टिगत अपने–अपने निवास स्थान पर निष्पादित करेंगे। जयपुर जिला मुख्यालय पर अवस्थित न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिये दिनांक 14 अप्रेल, 2020 तक के राजकीय / सार्वजनिक अवकाशों हेतु **श्री सुरेश चन्द (III), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–1, जयपुर जिला, जयपुर (मोबाइल नंबर 9887696245)** को नियुक्त किया जाता है जो राजकीय / सार्वजनिक अवकाश के दिन अपने निवास स्थान से उक्त समस्त कार्य निष्पादित करेंगे। किसी भी न्यायिक अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने पर उनके लिंक अधिकारी द्वारा उक्त समस्त कार्य निष्पादित किये जायेंगे जिसके लिये अलग से कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

Sd/
(केदार नाथ)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक :– 531 से 538

दिनांक :– 01 अप्रेल, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर को आदर सहित। **(जरिये E-Mail)**
2. जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालय। **(जरिये E-Mail)**
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर। **(जरिये E-Mail)**
4. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। **(जरिये E-Mail)**
5. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर जिला, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **(जरिये Whatsapp)**
6. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / नोटिस बोर्ड।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर।